pan>

**Title: Representation of The People (Amendment) Bill, 2019 (Insertion o New Section 29AA)**

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर)** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक प विचार किया जाए।"

**HON. CHAIRPERSON**: Now, you can speak.

***m03 श्री गोपाल शेट्टी:** सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चर्चा क बाद विधेयक को पारित भी किया जाए। मेरा शुरूआत का जो विचार है, मैं उसे पढ़ का प्रयास करूंगा। उसके बाद का जो मेरा भाषण होगा, उसे मैं मौखिक करूंगा। य जो मामला है और अभी सीग्रीवाल जी ने एक बिल को वापस लिया तो हम सबका प्रया यह है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जो 130 करोड़ लोगों का देश है। … (व्यवधान)

***m04 HON. CHAIRPERSON**: Hon. Members, before I ask Shri Gopa Shetty to continue his speech on the Representation of the Peopl (Amendment) Bill, 2019, the time for consideration of the Bill has to b allotted by the House.

If the House agrees, two hours may be allotted for it.

**SEVERAL HON. MEMBERS** : Yes, Sir, agreed.

**HON. CHAIRPERSON**: Hon. Member, please continue.

**श्री गोपाल शेट्टी**: सभापति महोदय, भारत 120 करोड़ लोगों का देश है। यह दुनिया क सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला देश है। हम सभी लोगों की विचारधा अलग-अलग है, तो भी चर्चा के बाद सहमति बनाते हुए, किसी भी काम को आगे जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इन दिनों जो चुनाव प्रक्रिया है, अभी सीग्रीवाल जी क

कम्पलसरी वोटिंग का प्रस्ताव वापस लिया गया है, मैं इस बिल के माध्यम से उस पर भ
अपना विचार प्रकट करूंगा। जैसे कम्पलसरी वोटिंग मतदाताओं के लिए है, वै
राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए भी कोई न कोई बंधन होना चाहिए। वैसे कई सा
बंधन हमारे इलेक्शन के कानून में हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। आ
वाले दिनों में इनमें और संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने संशोधन पेश
किया है।

सभापति महोदय, जब हम छोटे थे तो देखते थे कि भारत जैसे देश में सोशलिस
पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनसंघ, उसके बाद कांग्रेस, इंडिकेट, सिंडिकेट बहुत सारे होते
होते, बीच का एक ऐसा दौर आ गया कि थोड़े राजनीतिक पार्टीज के माध्यम से चुना
होता था। हमने वापस देखा कि दो-तीन दशकों से बहुत सारे लोग अपनी-अपनी पार्
का निर्माण करते हैं और फिर चुनाव के लिए बहुत बड़ा बैलेट पेपर बनता है, उसमें ना
छापे जाते हैं, चुनाव बहुत महंगा होते जाता है।

इतने बड़े प्रोसेस में मतदाता कभी-कभी समझ नहीं पता है कि क्या करना है औ
फिर वे मतदान से वंचित रहते हैं, यह भी वास्तविकता है।

हम देखते हैं कि विकासशील देश में चुनाव डिक्लेयर होता है, तो किस पार्टी क
कितना वोट मिला। यह दो-तीन पार्टीज के बीच में चलता है। लोक सभा में उम्मीदवा
कम होते हैं, लेकिन विधान सभा और कॉरपोरेशन के चुनाव में इनकी संख्या अनगिन
होती है। इतने लो लेवल पर हमारी वोटिंग की सिस्टम जा रही है। इस पर हमें विचा
करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रख कर मैंने एक बहुत बड़ा रिफॉ
लाने का प्रयास किया है, ऐसा मैं मानता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत बड़े बिल पर चर्चा करना
और सभा गृह में लोग बहुत कम हैं।... (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन ला
की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि आज के अपने भाषण में कुछ विचा
पढ़ूंगा और उसके बाद मौखिक भाषण करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए लो
प्रतिनिधित्व संशोधन, विधेयक 2019 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1991 में औ
संशोधन किए जाने से संबंधित है। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है
इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1991 के अनुसा

यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है, तो उसे राष्ट्रीय स्त
की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है।

एक, कोई पंजीकृत दल जिसने तीन विभिन्न राज्यों में लोक सभा की कुल सीटों व
कम से कम दो प्रतिशत सीटें हासिल की हो। दूसरा, कोई दल चार अलग-अलग राज्
में लोक सभा या विधान सभा चुनाव में कम से कम छ: प्रतिशत मत पाया हो और लो
सभा में कम से कम चार सीटें हासिल की हो, उसे मान्यता मिलती है। तीसरा, किसी भ
दल को कम से कम चार या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो
सभापति महोदय, 7 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित दल व
राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

पहला, भारतीय जनता पार्टी, दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा, राष्ट्रवा
कांग्रेस पार्टी. चौथा, बहुजन समाज पार्टी, पांचवां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, छठ
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सातवां, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस औ
आठवां, नेशनल पीपल्स पार्टी।

सभापति महोदय, किसी भी दल के उम्मीदवार को चुनाव में 16 प्रतिशत से क
वोट प्राप्त होता है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। तब केवल चार राज्यों
विधान सभा व लोक सभा चुनाव में मात्र छ: प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाले किसी भी द
को राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ऐसा मेरा मत है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी राजनीतिक दल का केवल चार राज्यों
अस्तित्व है और उसे केवल चार राज्यों में विधान सभा और लोक सभा के चुनाव में मा
छ: प्रतिशत वोट प्राप्त होते हैं एवं केवल तीन राज्यों से उसके लोक सभा के केवल 1
सदस्य हैं, तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। चूंि
किसी भी देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक अलग अस्तित्व होता है। इसलि
राष्ट्रीय राजनीतिक दल के गठन के लिए आवश्यक है कि देश के एक-चौथाई राज्यों
उसके कम से कम 54 लोक सभा सदस्य अथवा लोक सभा के कुल सदस्यों की संख
के 10 प्रतिशत के बराबर सदस्य हों और उसे देश के एक-चौथाई राज्यों में विधान सभ
तथा लोक सभा के चुनाव में कम से कम 16 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हों तथा उसक
एक-चौथाई राज्यों में अपना एक मूल आधार भी हो।

अंत में, मेरे द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में औ संशोधन किये जाने का आशय देश के हित में राज्यों को और अधिक मजबूती प्रदा करने का है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तों को जो राजनीतिक दल पूर्ण करते ह केवल उन्हीं दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

पहला, ऐसे राजनीतिक दल, जिनके देश के कुल राज्यों की संख्या के 25 प्रतिश राज्यों से कम से कम 54 लोक सभा सदस्य अथवा लोक सभा के कुल सदस्यों व संख्या के 10 प्रतिशत के बराबर सदस्य हों।

दूसरा, ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें देश के कुल राज्यों की संख्या के 25 प्रतिश राज्यों में विधान सभा तथा लोक सभा के चुनाव में 16 प्रतिशत वोट मिले हों।

तीसरा, ऐसे राजनीतिक दल, जिनका देश के कुल राज्यों की संख्या के 25 प्रतिश राज्यों में अस्तित्व हो।

अंत में, सदन के माध्यम से, इस सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के हित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किये जाने हेतु सकारात्मक कद उठाए।

माननीय सभापति जी, भारत के संविधान के अनुसार, भारत में संघीय व्यवस्था ह जिसमें नई दिल्ली में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों के लि राज्य सरकार है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय व राज्यीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों व वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है।

भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की भारत सरकार की सूची निम्न है:

भारत में बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है, जिसमें छोटे क्षेत्रीय द अधिक प्रबल हैं। राष्ट्रीय पार्टियाँ वे हैं, जिन्हें चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है उन्हें यह अधिकार भी भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है, जो विभिन्न राज्यों समय-समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है। इस मान्यता की सहायता राजनीतिक दल कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशि स्वामित्व का दावा कर सकते हैं, जैसे पार्टी-चिह्न।

जून, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय पार्टियाँ नीचे दी गई हैं:

यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो उसे राष्ट्री स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है।

पहला, कोई पंजीकृत दल तीन विभिन्न राज्यों में लोक सभा की कुल सीटों की क से कम 2 परसेंट सीटें हासिल की हो।

दूसरा, कोई दल चार अलग-अलग राज्यों में लोक सभा या विधान सभा के चुना में कम से कम 6 परसेंट मत पाया हो और लोक सभा में कम से कम चार सीटें हासि की हो।

तीसरा, किसी भी दल को कम से कम चार या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय द की मान्यता प्राप्त हो।

7 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारत में निम्नलिखित दल राष्ट्रीय दल के स्वरूप में मान्यता प्राप्त हैं:

भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 1980 में मान्ययता प्राप्त हुई थी। भारतीय राष्ट्री कांग्रेस वर्ष 1885 से ही शुरू है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वर्ष 1999 से है। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल, 1984 से है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वर्ष 1925 से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) व 1964 से है। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस वर्ष 1998 से है। नेशनल पीपल्स पार्टी व 2013 से है। अत: आज कुल मिलाकर हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिक पार्टियां हैं, उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर अपने देश की लोकशाही को औ सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। सभापति जी, मैं फिर एक बार आपके ध्यान में इ बात को लाने का प्रयास करूंगा कि हमारा देश लोकशाही प्रणाली से काम करता है लोकशाही में हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह चुनाव लड़े। व्यक्ति चुनाव लड़ हैं और उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं होता है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, तो उनका एक मेनिफेस्टो होता है, उनका एक प्रोग्राम होता है। पार्टि के इन प्रोग्राम को देखकर लोग राष्ट्रीय स्तर पर और अगर राज्य के चुनाव होते हैं, त राज्य के स्तर पर, महानगर पालिकाओं का चुनाव होता है, भिन्न-भिन्न स्तर के हमारे यह चुनाव होते हैं। पार्टी को देखकर, उनके मेनिफेस्टो को देखकर, उनके आचार-विचा

को देखकर, उनकी लीडरशिप को देखकर लोग वोटिंग करते हैं। इसी तरह लोकशाह
में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी सहमति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के
साथ नहीं बनती है, वह स्वयं अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकता है, तो उसे इंडिपेंडें
चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हमने देखा है कि कार्पोरेशन से लेकर लोक सभा
भी इंडिपेंडेंट जीते हुए सदस्य हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भ
पालिटिकल पार्टी के लोगों पर क्यों बंधन होना चाहिए? यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर भ
कोई चुनाव लड़ता है और उसे 16 परसेंट वोट नहीं मिलते हैं, तो फिर उसका डिपॉजि
फोरफीट कर देते हैं, वह पैसा जब्त हो जाता है। चुनाव के परिणाम आने के बा
आकलन करते हैं कि यह तो अपना डिपाजिट भी बचा नहीं पाया, इसलिए उसे दोबा
चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, उसके बारे में पहले से तय किया जाता है।

यदि वह दोबारा चुनाव लड़ता है, तो लोग बातें करते हैं कि पिछली बार तो य
चुनाव लड़ा था और अपना डिपॉजिट भी बचा नहीं पाया, इसलिए इसे वोट देने का क
फायदा है? इस तरह लोग वोट देने के लिए अपना मन बनाते हैं। इसी तरह एक राष्ट्री
पार्टी का पूरे देश में जनाधार होना चाहिए। जनाधार न होने से क्या होता है, मैं य
बताना चाहता हूं।

मैं बहुत पीछे न जाते हुए इन दिनों की बात करूं, तो मैं जिस रास्ते महाराष्ट्र
आता हूं, वहां शिव सेना और हमारी भारतीय जनता पार्टी की 25 साल युक्ति चली
बहुत अच्छा काम हुआ और देश तथा राज्य को आगे बढ़ाने का मौका मिला। मुम्ब
शहर को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हम दोनों पार्टियों ने मिलकर किया, लेकिन शि
सेना की मानसिकता में जो बाला साहब ठाकरे जी की शिव सेना थी, उस मानसिकता
थोड़ा बदलाव आ गया और वर्ष 2019 के चुनावों के बाद हमने देखा कि परिणाम क
हुआ।

मैं इलेक्शन रिफॉर्म की आवश्यकता की बात इसलिए करता हूं, क्योंकि देश
डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी अमेंडमेंट की व्यवस्था करके गए हैं। जैसे-जैसे सम
बीतता है, वैसे-वैसे समय के हिसाब से कानून में बदलाव किया जाता है। 25 साल पह
जो समय था, उस समय उस कानून की आवश्यकता थी और उस हिसाब से कानू
चलता था लेकिन 25 साल में देश बहुत आगे बढ़ा है। दुनिया के देशों में हम जो बदला
देखते हैं, उन बदलावों को देखते हुए विकसित देश जो करते हैं, उनके पीछे चलने क

हम भी प्रयास करते हैं। हमें भी लगता है कि हमें भी अपने यहां की व्यवस्था में बदला करने की आवश्यकता है।

इसलिए समय-समय पर हम अमेंडमेंट की व्यवस्था करते हैं। आप देखेंगे कि व 2019 के चुनाव में, विधान सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना, दो पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ीं। पांच साल श्री देवेन्द्र फडणवीस जी ने अच्छा का किया, उसे देखकर लोगों ने दोबारा वोट दिया और वोट देने के बाद जब रिजल्ट आय तो शिव सेना ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रे पार्टी में जाकर सरकार बनाई।

मैं मानता हूं कि इससे बड़ा मजाक लोकशाही का कभी भी नहीं हो सकता है आप चुनाव में एक मेनिफेस्टो को लेकर गए थे। उसमें शिव सेना और भारतीय जनत पार्टी का मेनिफेस्टो था, लेकिन दोनों पार्टी के लोगों ने एक मेनिफेस्टो पब्लिक के साम रखा कि हम एलायंस में चुनाव लड़ेंगे, हम युक्ति करके चुनाव लड़ेंगे। उस एलायंस क देखकर लोगों ने वोट किया और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम सभी ने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ? मैं मानता हूं कि हमारे नियम में इस प्रकार के बंधन नहीं है इसलिए शिव सेना ऐसा कर पाई और इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ह इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। … (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON**: Hon. Member, it is already six o'clock now. Yo can continue your speech next time.

The House stands adjourned to meet on Monday the 8th of August, 2022 a 11 am.

**17.59 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock*

*on Monday, August 8, 2022/Sravana 17, 1944 (Saka)*

---

**INTERNET**

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

**LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA**

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

---

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7441/17/22.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7442/17/22

* Not recorded.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 05.08.2022

* Treated as laid on the Table.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Further discussion on Motion for Consideration of the Bill moved by Shri Janardan Singh Sigriwal on 12 July, 2019

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022